

मध्यप्रदेश शासन  
समाज कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
आदेश

भोपाल दिनांक 21.6.99

क्रमांक एफ 1/7/99/26-1, राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.6.99 के अनुक्रम में विघटित किये गये समस्त 9 संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, पंचायत एवं समाज सेवा के विघटन के फलस्वरूप उनके संभागीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका अधिकारी को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार एतद द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जाते हैं।

2. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 1-13/वी/96/26-2/216, दिनांक 2.2.98 एवं आदेश क्र. 1-26/97/26-2, दिनांक 9.4.99 द्वारा जिन तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं कार्यपालिका कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला पंचायत को अंतरित किया जाकर ड्राइंग काडर घोषित किया जाता है के पद पर भविष्य में रिक्त होने पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्ति की जायेगी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता/-  
(सुनील कुमार)  
सचिव  
मध्यप्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1/7/99/26-1

भोपाल, दिनांक 21.6.99

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

हस्ता/-  
सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग